भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1860

उत्तर देने की तारीख: 13/03/2023

के.वी. और एन.वी. के भवन/कक्षा वर्गों का विस्तार/पालियों में वृद्धि

1860. श्री दिलेश्वर कामैत:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बिहार में केन्द्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय अपनी-अपनी भूमि पर बनाए गए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो क्या इन सभी विद्यालयों को भूमि प्रदान करने का कोई प्रावधान है; और
(ग) क्या सरकार की बिहार में स्थापित केन्द्रीय विद्यालयों और जवाहर नवोदय विद्यालयों की कक्षाओं के वर्गों का विस्तार करने की कोई योजना है क्योंकि पालियों की संख्या में वृद्धि हो रही है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमति अन्नपूर्णा देवी)

(क) और (ख): नए केंद्रीय विद्यालय (केवि) खोलना एक सतत प्रक्रिया है। केवि पूरे देश में शिक्षा का एक समान कार्यक्रम प्रदान करने हेतु मुख्य रूप से रक्षा और अर्ध-सैन्य कर्मियों, केंद्रीय स्वायत्त निकायों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थान (आईएचएल) सहित स्थानांतरणीय केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए खोले जाते हैं। नए केवि खोलने के प्रस्तावों पर तभी विचार किया जाता है जब भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) प्रशासनों द्वारा प्रायोजित किया जाता है जिसमें मानदंडो के अनुसार एक नया केवी स्थापित करने के लिए संसाधनों की प्रतिबद्धता है। यह प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन हैं। बिहार राज्य में सिविल क्षेत्र के अंतर्गत 45 केवि कार्यात्मक हैं, जिनमें से 29 केवी स्थायी स्कूल भवन में हैं; 02 स्कूल भवन निर्माणाधीन हैं और 02 केवी डीपीआर स्तर पर हैं। शेष 12 केवि प्रायोजक एजेंसियों द्वारा प्रदान किए गए अस्थायी आवास में चल रहे हैं, क्योंकि इन 12 केवि के लिए भूमि केंद्रीय विद्यालय संगठन (केविसं) को हस्तांतरित नहीं की गई है।

नवोदय विद्यालय योजना में देश के प्रत्येक जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय (जनवि) खोलने की परिकल्पना की गई है। नए जवाहर नवोदय विद्यालय खोलना एक सतत प्रक्रिया है जो संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की सहमति पर निर्भर करती है कि वह स्थायी भवन के निर्माण के लिए आवश्यक उपयुक्त भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराए और स्थायी भवन के निर्माण तक स्कूल चलाने के लिए किराए से मुक्त, अस्थायी भवन उपलब्ध कराए। नए जनवि की स्वीकृति और खोलना सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक अनुमोदन पर निर्भर करता है। नवोदय विद्यालय योजना के तहत बिहार के सभी 38 जिलों को शामिल किया गया है। वर्तमान में, 39 जेएनवी कार्यात्मक हैं, जिसमें गया जिले में गया में एक अतिरिक्त दूसरा जेएनवी (एससी केंद्रित) शामिल है। इन 39 कार्यरत जनवि में से 37 जनवि बिहार राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई स्थायी भूमि पर अपने स्थायी स्थल से कार्य कर रहे हैं। गया में अतिरिक्त जनवि और जनवि खगड़िया बिहार राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए अस्थायी स्थल पर काम कर रहे हैं। गया में जनवि के लिए राज्य सरकार द्वारा भूमि प्रदान की गई है और निर्माण प्रगति पर है लेकिन जनवि खगड़िया के लिए भूमि नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) को हस्तांतरित नहीं की गई है।

केवि और जनवि के लिए स्थायी भवनों का निर्माण एक सतत प्रक्रिया है, जो उपयुक्त भूमि की पहचान, प्रायोजक प्राधिकारियों द्वारा केविसं और नविसं के पक्ष में पट्टे की औपचारिकताओं को पूरा करने, निर्माण एजेंसी द्वारा नक्शा/अनुमान प्रस्तुत करने, निधि की उपलब्धता और अपेक्षित अनुमोदन आदि पर निर्भर करती है।

(ग) केविसं की मौजूदा योजना के अनुसार, केवि की प्रत्येक कक्षा में दो सेक्शनों के लिए सरकार की मंजूरी दी गई है।

नविसं की मौजूदा नीति के अनुसार, कक्षा-VI से XII तक प्रत्येक कक्षा के लिए 2 सेक्शन स्वीकृत हैं।

केवि और जनवि की कक्षाओं के सेक्शनों का विस्तार करने और पारियों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****